मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 (श्रावण 7, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री नरेश सिंह पटेल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2009-2010 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2006-2007 तथा 2007-2008,

(ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008,

(घ) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ङ) मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 तथा 2006-2007,

(च) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2006-2007 तथा 2007-2008,

(छ) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ज) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009, एवं

(झ) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, सीहोर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा फर्जी वाउचरों से राशि का आहरण कर अनियमितता किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी, रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर संभाग में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, दमोह जिले में स्टापडेम के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के जैतवारा नगर पंचायत के पार्षद की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, तुलसीराम सिलावट, के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, प्रदेश के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक टीकमगढ़ के संचालक मंडल द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सीधी एवं सिंगरौली जिले में मनरेगा के तहत नंदन फलोद्यान उप योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति, याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. संविहित संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 291, दिनांक 20 मई, 2010 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि. (शेष 30 मि.)

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2010